

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 01-17/2026-

पटना, दिनांक- / / 2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सा पदाधिकारी को कॉलम-06 में अंकित संस्थान से सीनियर रेजिडेन्सी/ द्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्डोर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे -

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति/पदस्थापना का पत्रांक एवं दिनांक	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	सीनियर रेजिडेन्सी/द्यूटरशिप करने संबंधी संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
2	JYOTI JYATA	11 11 1994	287(17) 05 03 2026	SH, HAJIPUR, VAISHALI	AIIMS, Patna से SR करने हेतु।

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक विभागीय आदेश सं0-105(17), दिनांक-22.01.2026 के आलोक में संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक/छात्रा से निधिवत शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक विभागीय आदेश सं0-178(17), दिनांक-07.02.2026 के आलोक में उच्चतर अध्ययनोपरान्त/टेन्डोर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) दान करेंगे।

उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

-17/विविध 01-17/2026- 1015(17) पटना, दिनांक :- 13/08/2026

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

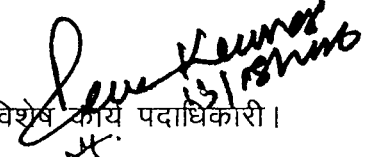
संबंधित असेनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।